न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिविजन संख्या:— 29 / 2017
दायर दिनांक :— 22.06..2017
निर्णय दिनांक :— 27.03.2017

अनवान

1.रमेशचन्द्र पिता भंवरलाल जाति कोठारी निवासी सैवन्त्री तहसील गढबोर जिला राजसमन्द
2.चन्द्रप्रकाश पिता भंवरलाल जाति कोठारी निवासी सैवन्त्री तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण / निगराकार

बनाम

1.श्री रूपनारायण ग्राम सेवा सहकारी समिति सैवन्त्री तहसील गढबोर जिला राजसमन्द जरिये व्यवस्थापक श्री देवेन्द्रसिंह उर्फ लाला बापू पिता औकारसिंह राजपूत निवासी सेलागुडा
2.सचिव गाम पंचायत सैवन्त्री पंचायत समिति कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

विपक्षीगण / गैर निगराकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम एवं पटटा संख्या 3076 दिनांक 25.03.2011 के विरूद्व ग्राम पंचायत सैवन्त्री पंचायत समिति कुम्भलगढ

उपस्थित :—
1—श्री अतुल कुमार पालीवाल ,अधिवक्ता प्रार्थीगण / निगराकार
2—सचिव ग्राम पंचायत सैवन्त्री , विपक्षीगण / गैर निगराकार

—:: **निर्णय** ::

प्रार्थी / निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में निवेदन किया हैं कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत सैवन्त्री द्वारा जो पटटा विपक्षी संख्या 1 को जारी किया गया है,पटटा बिना नियमों के जारी किया गया है। उक्त पटटा विपक्षी संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर बिना किसी प्रकिया को अपनाकर मनमकसूद तरीके से विपक्षी संख्या 2 के द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम से आवासीय पटटा नियम 157 (1) के तहत जारी कर दिया गया जो विधि अनुसार नहीं होकर खारिज योग्य हैं । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत सैवन्त्री द्वारा जारी पटटा संख्या 3076 दिनांक 25.03.2011 जो विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया को निरस्त फरमाया जावे ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । बावजूद तलवी के विपक्षी संख्या 1 की ओर से न तो स्वयं न ही काई अधिवक्ता उपस्थित हुए । अधिनस्थ ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण/निगराकार के अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि विपक्षी संख्या एक श्री रूपनारायण ग्राम सेवा सहकारी समिति सैवन्त्री स्थापित हैं । जो किसानों को फसली कर्ज,बीज,खाद आदि सामान का वितरण केन्द्र है। जो राज्य सरकार का उपकम है। विपक्षी संख्या एक सहकारी समिति का व्यवस्थापक है ,जो समिति के दस्तावेज संधारित करता है। विपक्षी संख्या दो ग्राम पंचायत सैवन्त्री का सचिव है,जो ग्राम पंचायत के दस्तावेजो का संधारण करता है। विपक्षी संख्या एक व दो राजकीय कार्मिक हैं ,विपक्षी संख्या एक सहकारी समिति एक संस्था हैं परन्तु विपक्षी संख्या एक का व्यवस्थापक सहकारी समिति के दस्तावेज संधारण करना बैठक बुलाना,कर्ज वितरण करना,कर्ज वसूली करना ,खाद व बीज का वितरण करना आदि कार्य समिति को चलाने के लिये सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। जिसका भुगतान सरकार करती है। इसी प्रकार से विपक्षी संख्या दो भी अपनी पंचायत के दस्तावेज तैयार करना ,बैठके बुलाना,प्रस्ताव तैयार करना,प्रस्ताव लागू कराना,पंचायत के कार्यो का लेखा जोखा रखना आदि का कार्य करता है। सचिव भी ग्राम पंचायत में सरकार का प्रतिनिधि है। विपक्षी संख्या दो के समक्ष किसी भी व्यक्ति ,संस्था ,कम्पनी को आबादी भूमि में पटटा चाहिये तो उसे नियमानुसार आवेदन करना होगा,आवेदन पंचायत की कोरम में प्रस्तुत होगा,पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की जायेगी,पंचायत द्वारा मौका देखा जायेगा,इसके अलावा उजरदारी का नोटिस आम सूचना जारी करनी होगी कि पटटा जारी किये जाने का प्रस्तावत है यदि कोई उजर उठाता है या आपत्ति प्रस्तुत होती है तो उसके निराकरण के पश्चात कोरम में रखा जायेगा जहां बहुमत से निर्णय कर पटटा जारी किया जोयगा। पटटा जारी करने से पूर्व सभी दिशाओं के पडोसियों के हक हकुको का भी ध्यान रखा जाना चाहिये । उसके बाद पटटा जारी किया जाना चाहिये लेकिन उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या एक एवं दो ने मिलीभगत कर बिना किसी प्रक्रिया को अपनाये मनमकसूद तरीके से विपक्षी संख्या दो के द्वारा विपक्षी संख्या एक के नाम से आवासीय पटटा नियम 157 (1) के तहत जारी कर दिया गया जो विधि अनुसार नहीं हैं एवं खारिज योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बताया गया कि विपक्षी संख्या एक के पक्ष में जो पटटा जारी किया गया उस पटटे में दक्षिण दिशा का पडोस भंवरलालजी कोठारी का हैं जो प्रार्थीगण के पिताजी है। साथ ही पटटे में पूर्व का पडोस ग्राम सेवक का क्वार्टर है। प्रार्थी की जमीन पटटे के दक्षिण दिशा में स्थित हैं जिसे स्वयं विपक्षीगण भी मानते है। मुख्य प्रश्न यह हैं कि प्रार्थीगण अपनी जमीन में प्रवेश कहां से करेगा ,इसके लिये ग्राम पंचायत द्वारा उत्तर से दक्षिण तक एक गली एक से डेढ फीट चौडी मौके पर छोडी जाकर निमार्ण कार्य कराया जा रहा है। विपक्षी संख्या दो के द्वारा विपक्षी संख्या एक के पक्ष में पटटा जारी करते समय जो मौके पर वर्षो पुराना रास्ता था उस जमीन का भी पटटा जारी कर दिया गया,जो सरासर गलत है एवं विधि सम्मत नहीं है। विपक्षी संख्या एक व दो को इस बात की पूरी जानकारी थी की मौके पर रास्ता है,फिर भी विपक्षी सख्या एक के नाम से पटटा जारी कर दिया जो पटटा काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थीगण को अपनी

जमीन में जाने का एक मात्र रास्ता श्री रूपनारायण सहकारी समिति(बीज गोदाम) एवं ग्राम सेवक के क्वार्टर के मध्य 12 फीट चौडा रास्ता था। पूर्व में भी विपक्षी संख्या एक के तत्कालीन सचिव के द्वारा प्रार्थीगण के रास्ते को पत्थरों की दीवार से कच्चे रूप से बन्द कर दिया ,तब प्रार्थीगण के पुवाधिकारी श्री मोहनलाल कोठारी एवं हीरालाल कोठारी के द्वारा श्री रूपनारायण सहकारी समिति सैवन्त्री के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया ,जिसके मुकदमा संचखा 196/1969 ई0दी0व अनवान मोहनलाल कोठारी व अन्य बनाम सचिव श्री रूपनारायण सहकारी समिति सैवन्त्री व अन्य ,न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग राजसमन्द के द्वारा प्रार्थीगण के पुर्वाधिकारी के पक्ष में निर्णय कर दिनांक 05.10.1978 को डिक्री पारित की गई कि सहकारी समिति व बीज गोदाम एवं ग्राम सेवक के क्वार्टर के मध्य वादीगण का 12 फीट चौडा रास्ता हैं उसमें प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नहीं करे एवं रास्ते में कच्चे पत्थरों की जो दीवार बना रखी है। उसे तत्काल हटा लेवे एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई कि प्रतिवादीगण स्वयं अथवा उनके एजेण्ट,मजदूर ,नौकर आदि द्वारा वादीगण के रास्ते की भूमि में किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं करे और न ही करावे। इस प्रकार का उक्त रास्ते के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय होने के बावजूद विपक्षीगण द्वारा रास्ते की जमीन पर भी पटटा बना लिया गया जो विधिक रूप से गलत है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत सैवन्त्री द्वारा जारी पटटा संख्या 3076 दिनांक 25.03.2011 जो विपक्षी संख्या एक के पक्ष में जारी किया गया को निरस्त फरमाया जावे ।

विपक्षीगण/गैर निगराकार संख्या दो ने अवगत कराया है कि पटटा संख्या 3076 दिनांक 25.03.2011 ग्राम पंचायत सैवन्त्री द्वारा तत्कालीन सचिव एवं संरपच द्वारा आबादी भूमि में जारी किया गया है, जो नियमानुसार है। प्रकरण में मौके की स्थिति की तहसीलदार से जांच करवाई गई । जांच रिपोर्ट पत्रावली परं उपलब्ध है।तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के अनुसार निर्माणाधीन बीज गोदाम के उत्तर दिशा में आम रास्ता सडक है। इसके मध्य बिन्दू से करीब 24 फीट छोडकर उक्त भवन निर्माणाधीन है। इस निर्माणाधीन भवन के पूर्व दिशा की ओर पीछे जाने के लिय करीब ढाई फीट (2 .6 फीट) गली छुटी हुई है। जो निर्माणाधीन बीज गोदाम व कृषि पर्यवेक्षक के खण्डर भवन के बीच गली के रूप में स्थित है तथा निर्माणाधीन भवन के पीछे एक पुराना गेट करीब 4 फीट 6 इंच पत्थर का बना हुआ है। उक्त गेट व निर्माणाधीन बीज गोदाम के मध्य में कुछ जगह खाली पडी हुई है। आस पडौस एवं आबादी भूमि तथा निर्माणाधीन उक्त भवन के पीछे जो कृषि भूमि आयी हुई है। उसमें जाने के लिये राजस्व रेकार्ड एवं मौके पर लगती हुई कृषि भूमि में जाने के लिए कोई रास्ता इस गली के अलावा मौके पर वर्तमान में रास्ता कायम होना नहीं पाया गया । निर्माणाधीन भवन में मौके पर कोई गेट एवं खिडकियां व दरवाजे नहीं लगे हुए है। भवन निर्माणाधीन होकर कार्य बन्द होना पाया गया ।

उभय पक्ष की व गैर निगराकार की बहस पर गहन मनन किया जाकर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया व पत्रावली

29

पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया । निगराकर की निगरानी आंशिक स्वीकार । माननीय न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम वर्ग राजसमन्द के निर्णय अनुसार 12 फीट रास्ते पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक हैं । शेष पटटे पर कोई रोक नहीं है।

:: आदेश ::

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सैवन्त्री द्वारा जारी किया गया पटटा संख्या 3076 दिनांक 25.03.2011 में माननीय न्यायालय की निषेधाज्ञा 12 फीट चौडाई रास्ते की भूमि को छोडते हुये शेष पटटा यथावत रखा जाता है।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द